(160)

नि0 1817-I-16

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 पुनरीक्षण

1. चिन्तामणी पुत्र श्री छिम्मा अहिरवार
2. शिवदयाल पुत्र घंसू साहू
3. अशोक कुमार पुत्र घंसू साहू
4. मनीराम पुत्र मोतीलाल

निवासीगण-ग्राम बिदारीखास, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

--आवेदकगण

बनाम

1. मनोहर पुत्र श्री गुपाल अहिरवार
2. ठाकुरदास पुत्र रतना अहिरवार

निवासीगण-ग्राम बिदारीखास, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

-- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 31/05/2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल, मोहनगढ़, जिला टीकमगढद्ध के प्रकरण कमांक 22-ए-12/2014-15 व उनवान मनोहर आदि बनाम चिन्तामणी आदि।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.-1817-एक/16

जिला- टीकमगढ़

चिन्तामन आदि विरूद्ध मनोहर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल मोहनगढ़, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 22/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 31-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 11.1.19 सदस्य	